न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आरए0ए0एस0

प्रकरण संख्या–82 / 2022

उनवानः–

1. रनवीर सिंह पुत्र भरतसिंह उम्र करीब 64 वर्ष जाति कुशवाह निवासी ग्राम खेरली तहसील मनियां जिला धौलपुर

————वादी

बनाम

1. जनक सिंह पुत्र चन्दन सिंह जाति ठाकुर
2. ओमप्रकाश पुत्र हेमसिंह जाति कुशवाह
3. कप्तान सिंह पुत्र बंगाली जाति जाटव
4. जवाहर सिंह पुत्र हेमसिंह जाति काछी
5. द्वारिका प्रसाद पुत्र रामसरन जाति जाटव
6. निनुआराम पुत्र जसराम जाति जाटव

निवासीगण ग्राम खेरली तहसील मनियां जिला धौलपुर

7. बद्री प्रसाद पुत्र नाथूराम जाति बघेला निवासी ग्राम विरजापुरा
8. बसन्ती देवी पत्नि भोगीराम जाति जाटव
9. राजधर पुत्र लाचारी जाति जाटव
10. लक्ष्मनसिंह पुत्र चन्दनसिंह जाति जाटव
11. लाखन सिंह पुत्र चन्दन सिंह जाति जाटव
12. विजेन्द्र सिंह पुत्र चन्दन सिंह जाति जाटव
13. सुखवीर सिंह पुत्र रामभरोसी जाति जाटव

समस्त निवासीगण ग्राम खेरली तहसील मनियां जिला धौलपुर

14. लौंगश्री पत्नि स्व. श्री रामजीलाल
15. महेश पुत्र स्व. रामजीलाल
16. रामखिलाडी पुत्र स्व. रामजीलाल
17. जगन्नाथ पुत्र स्व. रामजीलाल
18. गोपाल पुत्र स्व. रामजीलाल

समस्त जातिगण बघेला निवासीगण ग्राम बिरजापुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर

19. खेमचंद पुत्र तेजसिंह
20. चरनदेवी पुत्री तेजसिंह
21. गुड्डी देवी पुत्री तेजसिंह
22. भूरी पुत्री तेजसिंह
23. रेशमी पत्नि स्व. बंगाली
24. कप्तान पुत्र बंगाली
25. दिनेश पुत्र बंगाली
26. राजू पुत्र बंगाली
27. मुनेन्द्र पुत्र बंगाली
28. देवी पुत्री बंगाली
29. कमलेश पुत्री बंगाली
30. बासमती पत्नि स्व. रूपसिंह

समस्त जातिगण जाटव निवासीगण ग्राम खेरली तहसील मनियां जिला धौलपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर (राज0)

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

31. राजवीर पुत्र स्व. रूपसिंह
32. ओमप्रकाश पुत्र स्व. रूपसिंह
33. सनी पुत्र स्व. रूपसिंह
34. रीना पुत्री स्व. रूपसिंह
35. रेखा पुत्री स्व. रूपसिंह
36. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनियां

समस्त जातिगण जाटव निवासीगण ग्राम खेरली तहसील मनियां जिला धौलपुर

---------- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188
आर.टी. एक्ट

उपस्थिति – 1. श्री अशोक दिवाकर ऐडवोकेट वादी की ओर से

दिनांक 15.10.2024

निर्णय

वादी की ओर से दावा इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी ख.नं. 3420/1968 रकवा 0.5184 है0 बाके ग्राम खेरली तहसील मनियां जिला धौलपुर के कृषक प्रतिवादीगण एंव रामजीलाल, तेजसिंह, बंगाली व रूपसिंह थे। रामजीलाल , तेजसिंह, बंगाली व रूपसिंह का निधन हो चुका है रामजीलाल के वारिस प्रतिवादी क्रमांक 14 लगायत 18 है तेजसिंह के वारिसान प्रतिवादी क्रमांक 19 लगायत 22 है बंगाली के वारिसान प्रतिवादी संख्या 23 लगायत 29 है रूपसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 30लगायत 35 है। प्रतिवादी क्रमांक 1 जनकसिंह ने विवादित आराजीयात में निहित अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1217/6200 जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 27.04.2016 को एक लाख रूपये प्रतिफल की एवज में वादी को विक्रय कर दिया तथा कब्जा सौंप दिया इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकार धारा 63 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत समाप्त हो गए है। इस प्रकार विवादित आराजीयात में वादी 1217/6200 भाग का खातेदार कृषक हुआ तथा इसी अनुसार विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण के संग काबिज है। शेष भाग के खातेदार कृषक प्रतिवादीगण है। प्रतिवादीगण ने आपस में साज करके एक वाद वास्ते बंटबारा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी क्रमांक 10 लक्ष्मनसिंह द्वारा अन्य प्रतिवादीगण के खिलाफ उनवानी लक्ष्मनसिंह बनाम जनकसिंह के नाम से प्रस्तुत करवाकर उपरोक्त वाद में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है। वादी को वयनामें के समय प्रतिवादीगण के उपरोक्त वाद की कोई जानकारी नही थी जब प्रतिवादी 1 ने वादी के पक्ष में वयनामा निष्पादित कर दिया तथा वादी अपने पक्ष में वयनामा निष्पादित किये जाने के बाद पटवारी से राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करांने हेतु मिला तो प्रतिवादीगण के उपरोक्त वाद की जानकारी वादी को हुई जिस पर वादी ने प्रा0 पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. न्यायालय श्रीमान में पेश किया जो दिनांक 17.09.2018 को न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। उक्त वाद में वादी लक्ष्मन सिंह ने वादी के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध एक निगरानी मा0 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत कर दी। प्रतिवादीगण एकराय होकर विवादित आराजी पर आये तथा वादी को धमकी दी कि वह

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

विवादित आराजी से अपना कब्जा हटा ले क्योंकि विवादित आराजीयात में उसका कोई नाम नही है। वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि उसने जनकसिंह का सम्पूर्ण हिस्सा क्रय कर लिया है इस कारण वह विवादित आराजीयात में उनके साथ हिस्सेदार है तथा विवादित आराजीयात में उसका भी स्वत्व निहित है। इस पर प्रतिवादीगण ने वादी का साथ देने से स्पष्ट इंकार कर दिया। वादी स्वंय को विवादित आराजी में 1217/6200 भाग का खातेदार कृषक घोषित कराने का तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादी संख्या 1,10,11,12 की ओर से श्री भोलाराम यादव एड. ने वकालतनामा पेश किया। अन्य प्रतिवादीगण की तलबी हेतु जारी रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन एक माह से अधिक समय तक वापिस नही आने पर तथा प्रतिवादी संख्या 1,10,11,12 की ओर से किसी के उपस्थित नही होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 17.02.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1,10,11,12 की ओर से कोई जवाब दावा पेश नही हुआ।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में दावा के साथ नकल जमाबंदी ग्राम खेरली सं. 2079–2076 खाता संख्या 723 प्रदर्स–2 एंव नकल वयनामा दिनांक 27.04.16 जनकसिंह बहक रनवीर सिंह प्रदर्स–2 पेश की। शपथ पत्र बावत मुख्य परीक्षण वादी रनवीर सिंह एंव राजेन्द्र पुत्र महाराजसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम बल्देवापुरा मजरा खेरली तहसील मनियां पेश किया तथा उनके बयान दर्ज कराए गए।

वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनने एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के उपरान्त न्यायालय के आदेश दिनांक 06.08.2024 से दावा वादी प्रारंभिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख.नं. 3420/1968 रकवा 0.5184 है0 बाके ग्राम खेरली तहसील मनियां में जनकसिंह पुत्र चन्दन सिंह हिस्सा 1217/6200 जाति ठाकुर सा.देह खातेदार के स्थान पर रनवीर सिंह पुत्र भरतसिंह जाति कुशवाह निवासी खेरली को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा किए जाने के आदेश दिए गए। तदनुसार पर्चा प्रारंभिक डिक्री जारी किया गया तथा तहसीलदार मनियां को समस्त पक्षकारान को सूचित कर यथासंभव समस्त पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु आदेश जारी किया गया।

उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार मनियां ने विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किए। तहसीलदार मनियां ने विभाजन प्रस्ताव में ख.नं. 3420/1968/2 रकवा 0.1018 है0 किस्म चा0प्र0 का वादी रनवीर सिंह पुत्र भरतसिंह जाति कुशवाह सा0 खेरली खातेदार तथा ख.नं. 3420/1968/1 रकवा 0.4166 है0 किस्म चा0प्र0 0.4010 है. जा0प्र 0.0126 है0 का प्रतिवादी गण ओमप्रकाश पुत्र हेमसिंह हि. 125/4166, जवाहरसिंह पुत्र हेमसिंह हि0 125/4166 जाति कुशवाह सा.देह खातेदार, कप्तानसिंह पुत्र बंगाली हि0 110/4166 तेजसिंह पुत्र सामलिया हि0 154/4166 द्वारिकाप्रसाद पुत्र रामसरन हि. 139/4166 निनुआराम पुत्र जसराम हि0 125/4166 बंगाली पुत्र दौजी हि0 139/4166, बसन्ती देवी पत्नि भोगीराम हि0 146/4166 रूपसिंह पुत्र रामचन्द्र हि0 139/4166 राजधर पुत्र लाचारी हि0 146/4166 सुखवीर सिंह पुत्र

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

रामभरोसी हि0 69/4166 जाति जाटव सा.देह, बद्रीप्रसाद पुत्र नाथूराम हि0 280/4166 रामजीलाल पुत्र नाथूराम हि0 139/4166 जाति बघेला सा बिरजापुरा, लक्ष्मणसिंह पुत्र चन्दनसिंह हि0 906/4166 लाखनसिंह पुत्र चन्दनसिंह हि0 629/4166 विजेन्द्र सिंह पुत्र चन्दनसिंह हि0 795/4166 जाति ठाकुर सा0 देह खातेदार प्रस्तावित किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर वादी के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी के विद्वान अभिभाषक ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किए जाने का कथन किया।

वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनने, विभाजन प्रस्ताव एंव पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरान्त हम दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार मनियां द्वारा विभाजन प्रस्ताव में प्रस्ताव अनुसार ख.नं. 3420/1968/2 रकवा 0.1018 है0 किस्म चा0प्र0 का वादी रनवीर सिंह पुत्र भरतसिंह जाति कुशवाह सा0 खेरली खातेदार तथा ख.नं. 3420/1968/1 रकवा 0.4166 है0 किस्म चा0प्र0 0.4010 है0, जा0प्र 0.0126 है0 का प्रतिवादीगण ओमप्रकाश पुत्र हेमसिंह हि. 125/4166, जवाहरसिंह पुत्र हेमसिंह हि0 125/4166 जाति कुशवाह सा.देह खातेदार, कप्तानसिंह पुत्र बंगाली हि0 110/4166 तेजसिंह पुत्र सामलिया हि0 154/4166 द्वारिकाप्रसाद पुत्र रामसरन हि. 139/4166 निनुआराम पुत्र जसराम हि0 125/4166 बंगाली पुत्र दौजी हि0 139/4166, बसन्ती देवी पत्नि भोगीराम हि0 146/4166 रूपसिंह पुत्र रामचन्द्र हि0 139/4166 राजधर पुत्र लाचारी हि0 146/4166 सुखवीर सिंह पुत्र रामभरोसी हि0 69/4166 जाति जाटव सा.देह, बद्रीप्रसाद पुत्र नाथूराम हि0 280/4166 रामजीलाल पुत्र नाथूराम हि0 139/4166 जाति बघेला सा बिरजापुरा, लक्ष्मणसिंह पुत्र चन्दनसिंह हि0 906/4166 लाखनसिंह पुत्र चन्दनसिंह हि0 629/4166 विजेन्द्र सिंह पुत्र चन्दनसिंह हि0 795/4166 जाति ठाकुर सा0 देह खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार इन्द्राज किये जाकर खाता एंव लगान पृथक–पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आराजीयात के लगान के 20 गुणा पर देय मुद्रांक शुल्क के स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैशल शुमार होकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)